राजस्थान सरकार

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर (राज.)

क्रमांकः–सहायता/सान्याअवि/वि.यो./2020/1289 - 1326 दिनांकः– 04.04.2020

1. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परषिद्, बीकानेर।
3. आयुक्त नगर निगम, बीकानेर।
4. उपखण्ड अधिकारी, समस्त उपखण्ड, बीकानेर।
5. जिला रसद अधिकारी, बीकानेर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
7. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर।
8. उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर।
9. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति, जिला बीकानेर।
10. तहसीलदार, समस्त तहसील, जिला बीकानेर।
11. लीड बैंक अधिकारी, जिला बीकानेर।
12. प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बीकानेर।
13. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर पालिका, जिला बीकानेर।
14. हेड पोस्ट मास्टर..............................

विषय :– कोरोना वायरस (COVID – 19) को राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुये दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के सम्बंध में।

प्रसंग :– श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं आयुक्त, विशेष योग्यजन, राजस्थान के आदेश क्रमांक 2586–2592 दिनांक 30.03.2020 के सन्दर्भ में।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.03.2020 द्वारा कोरोना (COVID – 19) को राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुये जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से दिव्यांगजनों (निःशक्तजन अधिनियम अन्तर्गत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले व्यक्ति) के संरक्षण और सुरक्षा के लिये व उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के हर सम्भव निराकरण के लिये निम्नानुसार दिशा – निर्देश जारी किये जाते हैः–

- जिले के सभी चिकित्सालय में दिव्यांगजनों को व उनमें भी बच्चों एवं महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सीय सुविधायें व जांच आदि की सुविधा प्रदान की जावें।
- आपातकाल के दौरान दिव्यांगजनों को यात्रा पास जारी करते समय सुरक्षात्मक बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावें और उन्हे सेनेटाईज्ड किये जाने बाबत् जानकारी भी दी जावें। दिव्यांगजनों को लाने व ले जाने हेतु आवश्यकतानुसार उनके सहायकों/परिजनों को लॉकडाउन के दौरान सरलीकृत रूप में प्राथमिकता के आधार पर भी पास जारी करें।

Scanned with CamScanner

- दिव्यांगजनों को आवश्यकतानुसार उनके निवास पर राशन/भोजन, पानी, दवाईयां आदि वितरित की जावें। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है।
- जिले के "**विशेष योग्यजन पेंशन**" प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों की ग्राम पंचायत वार व ब्लॉक वार सूची समस्त सम्बंधित अधिकारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अग्रेषित करेंगे ताकि दिव्यांगजनों को आवश्यक सुविधायें प्रदान की जा सकें। इसके अतिरिक्त जिले में दिव्यांगजनों के क्षेत्र में संचालित संस्थाओं, गृहों, विधालयों व छात्रावासों में आवासित दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं और समस्याओं का निराकरण किया जावें। इस बाबत् सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी विशेष ध्यान देवें व आवश्यकतानुसार विजिट भी करें।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन व अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों के बी.सी., पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टरों द्वारा सहायता राशि का लाभार्थियों को घर-घर जाकर पारदर्शितापूर्वक वितरण किया जावें। वितरण के दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने/बचने के सम्बंधित प्रोटोकॉल की पालना की जावे।

उपरोक्त निर्देशों की सभी सम्बंधित विभाग/अधिकारी पालना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा श्री लीलाधर पंवार, जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर (मो.न. 9928439188) को दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बंध में जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। दिव्यांगजनों की आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षा व संरक्षण को मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर विशेष ध्यान देते हुये पूर्ण सहयोग करें।

संलग्न :- 01. उक्त प्रासंगिक पत्र की प्रति
02. विशेष योग्यजनों की सूचियां

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट
बीकानेर

क्रमांकः-सहायता/सान्याअवि/वि.यो./2020/ दिनांकः- 04.04.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय विशेष योग्यजन राज., जयपुर।
2. अति. जिला कलक्टर (प्रशासन/शहर), बीकानेर।
3. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं आयुक्त विशेष योग्यजन, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर, बीकानेर।

जिला मजिस्ट्रेट
बीकानेर

Scanned with CamScanner